

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्वै0सेनि0/वी-06/2017/

दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

बीकानेर

विषय:- श्रीमती वसन्ता कुमारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति आदेश जारी करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 402-03 दिनांक 10.01.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती वसन्ता कुमारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के दिनांक 01.04.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक: नर्सिंग/विविध/06/365 दिनांक 21.11.2006 के द्वारा नर्सिंग कर्मियों की कमी को देखते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर रोक है।

अतः कार्मिका को दिनांक 01.04.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया जाना सम्भव नहीं है, अतः आप अपने स्तर से कार्मिका को सूचित करें।

- sd -

(डा० घनश्याम बैरवा)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्वै0सेनि0/वी-06/2017/286

दिनांक:- 26/2/18

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमती वसन्ता कुमारी, महिला, स्वास्थ्य दर्शिका, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

- sd -

(डा० घनश्याम बैरवा)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर